



56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला अनूपपुर

III) निगरानी अनूपपुर | मुद्रा १० | २०१७/२१९६

अब्दुल मुईद पुत्र स्व0 श्री अब्दुल समद,
आयु 45 साल, निवासी - कोतमा, जिला
अनूपपुर (म0प्र0) — आवेदक

श्री अब्दुल मुईद, कावड़क इंद्र

बनाम

द्वारा आज दि 13-7-17 को

परतुर

[Signature]
कावड़क अफ कोट 13-7-17
राजस्व मण्डल एवं ग्वालियर

1. मोहम्मद जमीर

2. अब्दुल बारी,

3. मो. सबीर पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गफ्फार,
निवासी— लहसुई तहसील, कोतमा,
जिला अनूपपुर (म0प्र0)

— अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा
प्रकरण क्रमांक 46/अ-70/2016-17 में प्राप्ति आदेश
दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध म0प्र0 मू—राजस्व संहिता की
धारा 50 के अपील पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

- 1. यहकि, ज्योतिथ न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोतमा कर आदेश,
अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपारत किये
जाने योग्य है।
- 2. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में निगरानी प्रकरण क्रमांक 3570/दो/2016

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन / निगरानी / अनूपपुर / भू-रा. / 2017 / 2196

संधान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा षक आदि के हस्ताक्षर
13.7.17	<p>आवेदक की ओर से श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा अभिलेख बुलाये जाने का आदेश दिया गया था, जिसके पश्चात तहसीलदार द्वारा अभिलेख भेजने का आदेश दिया है, किन्तु पुनश्च करके अपने पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 7.7.17 को निरस्त कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>2— मैंने आवेदक अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुने बिना आदेश पारित किया है, अतः ऐसा आदेश रिथर रखे जाने योग्य नहीं है, एवं तहसीलदार के अपने पूर्व आदेश को निरस्त करने का भी अधिकार नहीं है।</p> <p>3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार को अपने वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्वलोकन की अनुमति लेने के पश्चात ही अपना आदेश पुनः पारित करना चाहिये। अतः प्रकरण समाप्त कर इस आदेश के साथ अतहसीलदार को तमा जिला अनूपपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह विधि अनुसार आदेश पारित करें।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	